दिनांक 26.08.2023
प्रेस विज्ञप्ति 28/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद इटावा/थाना ऊसराहार

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 25/26.08.2023 की रात्रि थाना ऊसराहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला पछाय पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कल्लू खॉ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ऊसराहार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, इटावा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कल्लू खॉ निवासी चॉदपुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना बांसगांव

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 89 हजार 700 रूपये नगद**
- **06 मोबाइल फोन**
- **चेक बुक, बैग आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.08.2023 को थाना बांसगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हरिहरपुर पुरानी गोदाम के पास से 03 अभियुक्तों 1–अंकित उर्फ शेरू उफ रजत 2–केशर चन्द्र उर्फ केशर 3–करन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 89 हजार 700 रूपये नगद, 06 मोबाइल फोन, चेक बुक, बैग आदि, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा ग्राहक सेवाकेन्द्र संचालक से लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बांसगांव पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित उर्फ शेरू उर्फ रजत, अभियुक्त केशर चन्द्र उर्फ केशर के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास आदि के 06–06 अभियोग व अभियुक्त करन के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बांसगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित उर्फ शेरू उर्फ रजत निवासी कोटिया विशुनपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर। 2–केशर चन्द्र उर्फ केशर निवासी कोठरा थाना अहिरौली जनपद आजमगढ़।

3–करन निवासी छितैनी बुजुर्ग थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–लूटे गये 89 हजार 700 रूपये नगद।

2–06 मोबाइल फोन।

3–चेक बुक, बैग आदि।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 25.08.2023 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार जौला शामली रोड बन्द पड़े भट्टे के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आबाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आबाद निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना फूलपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के 26 मोबाइल फोन, 01 स्मार्ट वाच**
- **चेकबुक, आधार कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 26.08.2023 को थाना फूलपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैथोली मोड के पास से 03 अभियुक्तों 1—अखिलेश कुमार 2—कन्हैया 3—तेजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के 26 मोबाइल फोन, 01 स्मार्ट वाच, चेकबुक, आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 09/10.08.2023 की रात्रि थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अखिलेश कुमार निवासी पिंडराई बलरामपुर थाना फूलपुर, वाराणसी।

2—कन्हैया निवासी पिंडराई बलरामपुर थाना फूलपुर, वाराणसी।

3—तेजा निवासी बेलवा महुआ थाना फूलपुर, वाराणसी।

बरामदगी

1—लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के 26 मोबाइल फोन, 01 स्मार्ट वाच।

2—चेकबुक, आधार कार्ड।

3—घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन।

जनपद मथुरा/थाना जैत

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 451 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 01 केन्टर**
- **01 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.08.2023 को थाना जैत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नयति हास्पिटल के पास लोहे के पुल के नीचे बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—दशरथ घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—रिंकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 451 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 केन्टर , 01 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना जैत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दशरथ निवासी मालूनी खुर्द थाना कौलारी जनपद धौलपुर, राजस्थान।

2—रिंकू निवासी मालूनी खुर्द थाना कौलारी जनपद धौलपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 451 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।?

2—घटना में प्रयुक्त 01 केन्टर ।

3—01 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 26.08.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मामन चुंगी के पास से 04 अभियुक्तों 1—योगेश कुमार 2—दलजीत 3—दिनेश 4—भूरा उर्फ टिन्ना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त योगेश कुमार के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त दलजीत के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त दिनेश, अभियुक्त भूरा उर्फ टिन्ना के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना कोतवाली नगर पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—योगेश कुमार निवासी ग्राम अंजनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2—दलजीत निवासी कस्बा जलाली थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

3–दिनेश निवासी मोहल्ला अबुलफजल कस्बा जलाली थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

4–भूरा उर्फ टिन्ना निवासी मोहल्ला आमीर कस्बा जलाली थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–1 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 26.08.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दरीबा तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–विकास कुमार 2–प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास कुमार निवासी ग्राम जगतपुर थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

2–प्रिंस निवासी नन्दा का पुरवा मजरे हसनापुर थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

- **जनपद रायबरेली/थाना हरचंदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो)/गैंगेस्टर जनपद रायबरेली द्वारा थाना हरचंदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कल्लू उर्फ सूरज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना व रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी नरेन्द्र निषाद पुत्र रामप्रसाद निषाद गिरफ्तार।

दिनांकः 25–04–2022 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को डकैती करने वाले गिरोह का सरगना व थाना डकोर, जनपद जालौन से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी नरेन्द्र निषाद पुत्र रामप्रसाद निषाद को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

नरेन्द्र निषाद पुत्र रामप्रसाद निषाद उर्फ पहलवान निवासी भौनापुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगीः–

1– एक अदद मोबाइल फोन।
2– एक अदद एटीएम कार्ड,।
3– 01 अदद आधार कार्ड।
4– 01 अदद पैन कार्ड।
5– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
6– 640 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनांक 25–08–2023 को समय लगभग 21:15 बजे अमौली तिराहा, जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिहं के नेतृत्व में उ0नि0 शिवेन्द्र सिंह सेंगर व मु0आ0 मोहर सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर की टीम जनपद फतेहपुर में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2022 में जनपद जालौन के थाना डकोर क्षेत्रान्तर्गत हुयी डकैती में वांछित एवं 50,000/–रूपये पुरस्कार घोषित अपराधी आन्ध्र प्रदेश में रह रहा था, जो आज अपने गॉव से जहानाबाद होते हुये भोगनीपुर के रास्ते भोपाल जाने वाला है, इस सूचना पर एस0टी0एफ टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 10–10 लोगों का एक गिरोह है जिसका सरगना वह स्वयं है। इस गिरोह द्वारा सनुसान जंगली इलाको से गुजरने वाली विद्युत को बाधित करके एल्यूमिनियम के विद्युत तारों को काटकर ट्रक द्वारा दिल्ली भेज दिया जाता है, जिसे भठ्ठियों में गलाकर एल्यूमिनियम के रूप में तैयार करके बाजार में बेचा जाता है। इसके गिरोह के अन्य सदस्यों को राजस्थान, दिल्ली आदि प्रदेष से भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना डकोर, जनपद जालौन में पंजीकृत मु0अ0स0–16/22 धारा 395/412 भा0द0वि0 में दाखिल किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।